FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान

पटवारी हल्का पालरां बनाम **तहसीलदार रायपुर**

किस्म मुकदमा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 2021/356 **मु0न0** 3 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
9.11.2021	राज्य सरकार के राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार एवं 2 अक्टुबर 2021 से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में आमजन से सम्बधित समस्याओं का निराकरण हेतु पालना की जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित केम्प में पटवारी हल्का पालरां के द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खानणियां की आराजी नम्बर 530 रकबा 0.35 है0 किस्म गै.मु. मंगरी सम्पूर्ण भूमि में रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में गै.मु.मंगरी के बजाय बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना है साथ में रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी भू.अ. नि. एवं नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम खानणियां की बिलानाम गे.मु. मंगरी आराजी नम्बर 530 रकबा 0.35 है0 [illegible] गै.मु.मंगरी सम्पूर्ण भूमि रास्ते के उपयोग [illegible] राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गे.मु. मंगरी [illegible] रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया तो पाया कि पटवारी, भू.अ.नि. एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खानणिया से खेमाणा जाने वाला रास्ता जो ग्राम खानणिया की बिलानाम आराजी नम्बर 530 रकबा 0.35 है0 किस्म गै.मु.मंगरी सम्पूर्ण भूमि सार्वजनिक रूप से रास्ते के उपयोग में आ रही है जबकि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै.मु. मंगरी दर्ज है। मौके पर जो भूमि जिस रूप में काम आ रही उसका उसी रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना आवश्यक है ताकि रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना उचित है। अतः राज्य सरकार के आदेश अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम खानणिया की बिलानाम आराजी नम्बर 530 रकबा 0.35 है0 किस्म गै.मु.मंगरी सम्पूर्ण भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म गे.मु.मंगरी के बजाय किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 9.11.2021 (सुन्दर लाल बम्बोड़ा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) (भीलवाड़ा) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2022.01.13 17:45:03 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— प्रार्थना पत्र 3/2021 2021/3...

अगवान

1—पटवारी हल्का पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

अतः राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप—6) विभाग के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज—/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र कमांकः प्र.गा.के संग/2021/09 दिनांक 09.11.2021 के अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम खानणियां की बिलानाम आराजी नम्बर 530 रकबा 0.35 है0 किस्म गै.मु.मंगरी सम्पूर्ण भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त किस्म गे.मु. मंगरी के बजाय गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

9.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested